



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-53

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 278610 दिनांक 20/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	KAILASH KHANDELWAL S/o SHIVDATT GUPTA	श्रीमती मोना देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सहाय महावर	143	90.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-D	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की आवासीय योजना पिताम्बरा के भूखण्ड सं. डी-143 के. 90.00 व.मी. की लीजडीड श्रीमती मोना देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सहाय महावर को दिनांक 31.01.2008 को जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 18.10.2012 को श्रीमती मोना देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सहाय महावर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री वृन्दावन त्यागी को किया गया। श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री वृन्दावन त्यागी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 07.08.2014 को श्रीमती शशि कला चतुर्वेदी पत्नी श्री श्याम किशोर चतुर्वेदी को किया गया। तत्पश्चात श्रीमती शशि कला चतुर्वेदी पत्नी श्री श्याम किशोर चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 11.01.2026 को श्री कैलाश खण्डेलवाल पुत्र श्री शिवदत्त गुप्ता को किया गया। श्री कैलाश खण्डेलवाल पुत्र श्री शिवदत्त गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड से फ्रीहोल्ड डीड प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. KAILASH KHANDELWAL S/o SHIVDATT GUPTA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।